

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मु.स.म.र.पु. जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
के वार्ड संख्या 49 से *पार्षद/*उप-मुख्य-पार्षद/*मुख्य-पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- रेहाना रवातुन

पति/पति का नाम- मोहम्मद हकीमुर्रहमान

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- मु.स.

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- मु.स.

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- मु.स.

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- मु.स.
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- मु.स.

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- मु.स.

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- मु.स.

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? मु.स.

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- मु.स.

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- मु.स.

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- मु.स.

(iv) यदि निष्पादित है, तो मु.स.

(क) निष्पादन की तिथि- मु.स.

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- मु.स.

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- मु.स.

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- मु.स.

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- मु.स.

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- मु.स.

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- मु.स.

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर ऐसे किसी लॉबिंग मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- 25/2

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 25/2
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 25/2
- (iii) अपराध संख्या 25/2
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 25/2
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 25/2

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- 25/2

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 25/2
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 25/2
- (iii) अपराध संख्या- 25/2
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 25/2
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 25/2

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉबिंग हो, तो पूर्ण विवरण- 25/2

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- 25/2

(ii) शहरी भूमि- 25/2

(iii) भवन- 25/2

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 25,000 = २५,०००

(ii) बैंक बैलेन्स- 112,59 पैसे
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट 21,000
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- 21,000
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।)

(v) वाहन 21,000
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें)
हीरा 20,000 ग्राम 1,20,000 = १,२०,०००
चाँदी 25,000 ग्राम 1,50,000 = ३,७५,०००

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें-

साक्षात्

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजिपुर

तिथि- 22-9-22

रहना खेतुन

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र



मैं, रेशम देवी पिता/पति मो. हसन अली

उम्र 47 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 49

मोहल्ला मि. डी. मु. १, पोस्ट र. म. ११, थाना मि. डी. मु. १, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 49 के *पार्षद/*उप-मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रही/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 49 के *पार्षद/*उप-मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - मो. हसन अली
नाम - मो. हसन अली
पता - मि. डी. मु. १, पो. र. म. ११, थाना मि. डी. मु. १, जिला मुजफ्फरपुर

रेशम देवी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Md Hesaruddin
Advocate
22-9-22

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर मो. हसन अली
नाम - मो. हसन अली
पता - मि. डी. मु. १, पो. र. म. ११, थाना मि. डी. मु. १, जिला मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 22-9-22

The Deponent Identified
Advocates presence before me

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी, पुलिस/अध. कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

Signature
NOTARY REG. NO. 1001
CIVIL CODE GUZAFARUDDIN BIHAR